अनुसूची 14 फारम संख्या 552

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

जुही कुमारी .... प्रथम पक्ष

बनाम सलमान जफर .... द्वितीय पक्ष

पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......40...... सन् 2025

धारा 163 भा0 ना0 सु0 सं0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11/3/25	आवेदक जुही कुमारी पति शमीम अजाम साकिन – बगोदर अंचल – बगोदर के द्वारा कहा गया है कि प्रथम पक्ष जुही कुमारी और द्वितीय पक्ष 1. सलमान जफर पिता स्व0 अब्दुल हलीम 2. शहबाज खान पिता एजाज खान, साकिन – जरमुने चट्टी पूर्वी, अंचल – बगोदर, थाना बगोदर, जिला गिरिडीह के बीच निम्नलिखित भुमि को लेकर विवाद है।	94 11/3/25

अंचल बगोदर, हल्का नं0 *II*, मौजा जरमुने, थाना बगोदर, थाना नं0 108,

पेज नं0/भाग नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
34/16	13	2147	37 डी0 मध्ये विवादित रकवा – $8\frac{1}{3}$ डी0	चौहदी उ0 + द0 – लेख्यकारी नीज पू0 – गयासुद्दीन अंसारी पं0 – सड़क वर्तमान चौहदी उ0 – तसलीम अंसारी का मकान द0 – गली वो वली आजम का घर वो दुकान पू0 – गयासुद्दीन चुडीहारा पं0 – सडक

प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि पर भा0 ना0 सु0 स0 की धारा 163/अन्य के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की माँग की गई है,

प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी बगोदर तथा थाना प्रभारी बगोदर से मतंव्य के साथ दिनांक 20·3·25 तथा जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 20·3·25 को उपरस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

11/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर – सरिया

11/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर – सरिया

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश वाद सं॰ 40/25 (B.N.S.S. 163)	
23/05/25	थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन पर लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण निम्नवत है पर दिनांक 28/03/25 की प्रभावी तिथि से भा० ना० सु० सं॰ की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। वादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा- अरमुने / थाना / अंचल- बगोदर खाता नं॰ 13 प्लॉट नं॰ 2147 रकबा: 37 डी० मध्ये 8 1/3 डी० नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा तथा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला सं॰ 6996 दिनांक 27-05-1985 से जारी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं. 34 भौल्यूम नं. 16 पर कायम है। वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें विक्रय विलेख सं. 2025/DUMR/346/BK1/315 से हासिल है जिसकी तिथि 12/3/25 है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी-II के भाग सं 49 पृष्ठ सं. 15 पर कायम है। उभय पक्ष द्वारा संलग्न राजस्व कागजातों के अध्ययन, उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग अलग राजस्व दस्तावेज के जरिए विवादग्रस्त भूमि पर अपना दावा करते हैं। स्पष्टतः उक्त मामला हक-हकीयत (स्वत्व) से संबंधित है। स्वत्व (Title) का विवाद अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः इस मामले में किसी पक्षकार के हित में	

जाती

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	या विरुद्ध कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। प्रभावित पक्ष वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में युक्तियुक्त वाद दायर कर सकते हैं। उक्त निपटारे तक उभय पक्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त योजित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 23/6/25 (हस्ताक्षर) अनु॰म॰द॰ दण्डाधिकारी, बगोदर - सरिया 23/6/25 (हस्ताक्षर) अनु॰द॰दा॰ बगोदर-सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.21 10:58:36 +05:30
Location: 192.168.1.9